न्यायालय उप जिलाकलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुरसिटी
जिला सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
90/2014	1.7.2014	19.8.25

रामकौरी पुत्री भौरया पत्नि गिर्राज, माली निवासी गंगापुरसिटी—वादिया

बनाम

1. परसादी पुत्र नानग्या, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुरसिटी
2. कजोड्या पुत्र देवचन्द, माली नि0 विदरखा तहसील गंगापुरसिटी (मृतक)
2/1.रामनिवास पुत्र कजोड्या, माली नि0 विदरखा तहसील गंगापुरसिटी
2/2.रामप्रकाश पुत्र कजोड्या, माली नि0 विदरखा तहसील गंगापुरसिटी
2/3.श्यामलाल पुत्र कजोड्या, माली नि0 विदरखा तहसील गंगापुरसिटी
2/4.विनोद पुत्र कजोड्या, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुरसिटी
2/5.कमलेश पुत्र कजोड्या, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुरसिटी
2/6.कौशल्या पुत्री कजोड्या, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुरसिटी
2/7.जानकी पुत्री कजोड्या, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुरसिटी
2/8.गुड्डी पुत्री कजोड्या, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुरसिटी
2/9.अतरोबाई पुत्री कजोड्या, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुरसिटी
2/10.मु0 पांची पत्नि कजोड्या, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुरसिटी
2/11.घीसी पत्नि देवचन्द, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुरसिटी
3. मु0 भूरी पुत्री भौरया पत्नि छाज्या, माली निवासी नौगांव तहसील तलावडा
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुरसिटी —प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक टीनेन्सी खातेदारी व डिवीजन आफ होल्डिंग

उपस्थित :–श्री जुगलकिशोर गर्ग, एडवोकेट, वादिया की ओर से
श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

वादिया ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम विदरखा में आराजी साबिक ख0नं0 157 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 176 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 187 रकबा 2 बी[illegible] बिस्वा, ख0नं0 198 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख0नं0 2[illegible] रकबा 1[illegible] बीघा बिस्वा है जिसके हाल सेटलमेंट में नवीन ख0नं0 735 रकबा 37 [illegible] ख0नं0 834 रकबा 19 एयर, ख0नं0 861 रकबा 36 एयर, ख0नं0 889 रकबा 32 एयर, ख0[illegible]7 रकबा 1 एयर, ख0नं0 918 रकबा 1.41 है0, ख0नं0 770/1510 र[illegible]35 एयर, ख0नं0 726 रकबा 1 एयर, ख0नं0 727 रकबा 46 एयर, ख0नं0 770 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:58 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

84 एयर, ख0नं0 833 रकबा 22 एयर, ख0नं0 844 रकबा 47 एयर, ख0नं0 888 रकबा 27 एयर, ख0नं0 916 रकबा 89 एयर, ख0नं0 770/1535 रकबा 1 एयर, ख0नं0 478 रकबा 33 एयर, ख0नं0 856 रकबा 51 एयर तथा ख0नं0 607/1509 रकबा 62 एयर बने हैं। उक्त भूमि नानगा की खातेदारी व कब्जे की रही है। इससे पूर्व उक्त भूमि नानगा के पिता धन्ना की खातेदारी व कब्जे की थी यानि यह भूमि नानगा की पैत्रक भूमि रही है। नानगा के एक लडका भौरया, एक लडका परसादी और एक लडका देवचन्द हुआ। इस प्रकार उक्त भूमि पैत्रक होने के कारण उक्त भूमि में प्रत्येक का 1/4 हिस्सा हिन्दू ला के अनुसार हो गया और इस प्रकार चारो ही उक्त भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करके सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे हैं। नानगा की मृत्यु सं0 2016 में हो गई थी। इस प्रकार उसकी मृत्यु के बाद सं0 2016 में उक्त भूमि के खातेदार नानगा के तीनों लडके भोरया, देवचन्द, परसादी हो गए। नानगा की मृत्यु के बाद सं0 2017 में भौरया की मृत्यु हो गई। भौरया के दो लडकियां थी। एक तो वादिया और दूसरी नं0 3 प्रतिवादिया । भौरया की मृत्यु के बाद प्रतिवादी नं0 1 व 2 तथा वादिया व प्रतिवादिया नं0 3 उक्त भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करते रहे। इस प्रकार नानगा की मृत्यु के बाद उक्त भूमि की खातेदारी भौरया, परसादी व देवचंद के नाम होनी चाहिए थी। देवचंद भी बाद में फौत हो गया तो देवचंद की जगह तो उसका लडका कजोड्या का नाम दर्ज हो गया लेकिन भौरया का नाम दर्ज नहीं हुआ और भौरया की मृत्यु के बाद उसकी लडकी वादिया व प्रतिवादिया नं0 3 का नाम गलती से दर्ज नहीं हुआ लेकिन भूमि को वादिया व प्रतिवादिया संयुक्त रूप से काश्त करते रहे । भौरया की मृत्यु के बाद भौरया की स्त्री देवचंद के बैठ गई और भौरया का सारा जेवर चांदी, सोना, नकदी रूपये भी अपने साथ ले गई, वादिया व प्रतिवादिया नं0 3 को नहीं दिया। इस प्रकार उक्त भूमि में वादिया व प्रतिवादिया नं0 3 का 1/3 हिस्सा है और प्रतिवादी नं0 1 व 2 का प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा है। यानि वादिया का कुल भूमि में 1/6 हिस्सा और इसी प्रकार संयुक्त रूप से काश्त करके मुस्तफीद होते चले आ रहे हैं। [illegible] भी उक्त भूमि में सभी फरीको ने संयुक्त रूप से काश्त की [illegible] प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि में से सरसों काट ली और वादिया को 1/6 [illegible] देने से दिनांक 23.2.88 को मना कर दिया व वादिया के हिस्से से इन्कार कर दिया। इस कारण यह दावा करना आवश्यक हुआ है और भूमि का विभाजन कराया जाना आवश्यक हुआ है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादिया विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:58 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरारहक टीनेन्सी खातेदारी इस अमर का डिक्री फरमाया जावे कि भूमि मुन्दर्जा मद नम्बर 1 अर्जी दावा में वादिया 1/6 हिस्से की खातेदार टीनेन्ट है। उक्त भूमि का विभाजन किया जाकर वादिया का 1/6 हिस्सा कायम रखा जाकर अलग खाता कायम किया जावे व प्रतिवादी नम्बर 2, 3 के अलग खाते उनके हिस्से अनुसार कायम किए जावें और इसी प्रकार भूमि का बंटवारा किया जाकर वादिया को 1/6 हिस्से पर काबिज रखा जावे। खर्चा मुकदमा वादिया को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी नं0 1 परसादी ने जबाब दावा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम विदरखा में साबिक ख0नं0 157, 176, 187, 198, 214/2 कुल किता 5 कुल रकबा 22 बीघा स्थित रही है। यह भूमि प्रतिवादी सं0 1 परसादी व प्रतिवादी सं0 2 कजोड्या की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। वादिया ने उक्त खसरा नम्बरान से नवीन नम्बर बनना लिखा है तथा ख0नं0 735 से लेकर ख0नं0 607/1509 तक का हवाला दिया है जबकि ये सभी खसरा नम्बर साबिक नम्बरों से नहीं बने हैं। वादिया द्वारा इस मद में लिखे हाल खसरा नम्बरान का कुल रकबा 30 बीघा 9 विस्वा होता है जबकि उक्त पुराने नम्बरान का साबिक रकबा 22 बीघा ही है। वादिया को अपना केस स्पष्ट रूप से लाना चाहिए तथा यह दावा पूर्व में इकतरफा में डिक्री हो गया था। इस कारण हाल खसरा नम्बरान में डिक्री की पालना में हिस्सा 1/6 गलत रूप से दर्ज हो गया है। वादिया का दर्ज हिस्सा 1/6 जमाबंदियों से हजफ किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी सं0 1 का अधिकारपूर्वक अपना 1/2 हिस्सा पर कब्जा है। वादिया या प्रतिवादिया सं0 3 का भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा ना ही उनका भूमि में कोई हक है। वादिया का व प्रतिवादिया सं0 3 पिता भौरया 1950 से पूर्व फौत हो गया था। वादिया के पिता भौरया या वादिया का का भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। वादिया के पिता भौरया की भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। वादिया के पिता भौरया की मृत्यु सन् 1950 से पहले हो गई, उसकी मृत्यु के 38 साल बाद वादिया ने यह दावा पेश किया है जो मियाद [illegible] है। वादिया 65 वर्ष से ऊपर की आयु की महिला है तथा [illegible] 50 [illegible] अधिक समय से अपनी ससुराल में रहती है तथा सन् 1950 से पहले [illegible] पिता का देहान्त हो चुका था तथा उक्त भूमि में वादिया या उसके पिता भौरया का कोई हक या कब्जा कभी नहीं रहा। वादिया ने लोगों के बहकावे में व बदनीयतिपूर्वक यह दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादिया मय कर दिया है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादिया मय

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:16:58 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में वादिया रामकोरी व प्रतिवादिया सं0 3 भूरी का हिस्सा 1/6 दर्ज है को हजफ फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/10 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि वास्तविकता में नानगा के दो लडके देवचन्द व परसादी थे। देवचंद की मृत्यु हो गई तो उसके लडके कजोडया का नाम राजस्व रिकार्ड पर आ गया। सदैव से साबिक ख0नं0 157, 176, 187, 198, 214/2 कुल रकबा 22 बीघा केवल मात्र परसादी, कजोडया का आधा आधा रहा है। हाल ख0नं0 735, 834, 861, 889, 917, 918, 770/1510, 726, 727, 770, 833, 844, 888, 916, 770/1585, 478, 856, 607/1509 पर वर्तमान में भी परसादी एवं प्रार्थीगण आधा आधा पर काबिज चले आ रहे हैं तथा अपने अपने आधे आधे हिस्से पर वर्तमान में भी अलग अलग रूप से काश्त कर रहे हैं। रामकौरी व भौरी का भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है एवं इन्होने कभी भी इस भूमि पर फसल काश्त नहीं की है। वादिया ने 45 साल मियाद बाहर दावा पेश किया है जो मियाद बाहर होने के कारण खारिज होने योग्य है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि न्यायहित में वादिया का दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गईः—

1. आया वादपत्र के मद नं0 1 में वर्णित भूमि नानगा की पैत्रक, कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि रही है। —वादिया

2. आया नानगा के तीन पुत्र भौरया, देवचन्द, परसादी हुए। भौरया के दो लडकी वादिया व प्रतिवादिया नं0 3 हुई। —वादिया

3. आया वादग्रस्त भूमि में नानगा की मृत्यु के बाद भौरया के नाम विरासत दर्ज नहीं हुई एवं इसी कारण भौरया की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि में वादिया व प्रतिवादिया नं0 3 की खातेदारी दर्ज नहीं हुई जबकि वादग्रस्त भूमि में वादिया व प्रतिवादिया नं0 3 का 1/3 हिस्सा है। —वादिया

4. आया वादिया वादग्रस्त भूमि में उसके 1/6 हिस्से की खातेदारी अपने नाम घोषित कराने एवं भूमि का विभाजन कराकर प्रथक से अपने नाम 1/6 हिस्से की खातेदारी दर्ज कराने की अ[illegible] है। —वादिया

5. आया वादिया ने वादपत्र [illegible] जो भूमि दर्शाई है वह प्रतिवादी नं0 1 परसादी व प्रतिवादी नं0 2 [illegible] की खातेदारी व कब्जे की भूमि है। वादिया ने अपने वादपत्र में भूमि [illegible] स्पष्ट विवरण नहीं दिया है एवं अपने पक्ष में एकतरफा में 1/6 हिस्से की डिक्री करा ली हैं अतः वादिया के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा हजफ होना आवश्यक है। —प्रतिवादी नं0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:58 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

6. आया वादिया के पिता भौरया की मृत्यु सन 1950 से पहले हो गई एवं उसकी मृत्यु के 38 वर्ष बाद वादिया ने दावा प्रस्तुत किया है जो मियाद बाहर है एवं चलने योग्य नही है। —प्रतिवादी सं. 1

7. आया नानगा के दो लडके देवचंद व परसादी थे। देवचंद की मृत्यु के बाद उसके लडके कजोडया का नाम रेवन्यु रिकॉर्ड पर आ गया और भूमि पर मात्र परसादी व कजोडया का भी आधा आधा हिस्सा रहा है एवं इसी अनुसार वे भूमि पर काबिज चले आ रहे है। —प्रतिवादी सं. 2

8. आया वादिया व प्रतिवादी संख्या 3 का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है एवं इनका दावा चलने योग्य नही है। —प्रतिवादी सं. 2

9. अनुतोष

वादपत्र के समर्थन मे वादिया ने नकल जमाबंदी संवत 2030–33 खाता संख्या 48/1 प्रदर्श 1, नकल जमाबंदी संवत 2026–29 प्रदर्श 2, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2017–20 प्रदर्श 4, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2012–15 प्रदर्श 5, नकल जमाबंदी संवत 2039–42 प्रदर्श 6, प्रदर्श7, प्रदर्श 8, प्रदर्श 9, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 10, बंटवारा स्कीम प्रदर्श 11, नकल नक्शा ट्रेस हॉल प्रदर्श 12, प्रदर्श 13, नकल जमाबंदी खतौनी प्रदर्श 14, नकल विक्रय पत्र प्रदर्श 15 प्रस्तुत किये है एवं बयान वादिया रामकौरी पीडब्ल्यू 1 कराये है।

जबाब के समर्थन मे प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है एवं बयान प्रतिवादी परसादी पुत्र नानगा माली डी डब्ल्यू 2, बयान प्रतिवादी रामनिवास पुत्र कजोडया माली डब्ल्यू 3 कराये है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

वादिया के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहॉ कि वादग्रस्त भूमि नानगा की खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। नानगा के तीन पुत्र भौरया, परसादी और देवचंद हुए है। नानगा की मृत्यु के पश्चात यह भूमि भौरया, देवचंद, परसादी के नाम दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु भौरया के दो लडकिया थी इसलिए लडकियो का नाम भौरया की मृत्यु के बाद दर्ज नही किया गया एवं भूमि देवचंद व परसादी के नाम दर्ज कर दी गई। देवचंद की मृत्यु के बाद भूमि उसके लडके कजोडया के नाम दर्ज कर दी गई। वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमे वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 3 जो कि भौरया की पुत्रियॉ है दोनो का 1/3 हिस्सा होना चाहिए था जो दर्ज नही किया गया है। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 3 अपने नाम वादग्रस्त भूमि मे 1/3 हिस्से की भूमि दर्ज कराने की अधिकारी है। इसी अनुसार वादिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:58 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

का दावा डिक्री फरमाया जावें।

प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादिया का दावा मियाद बाहर है। वादग्रस्त भूमि पर वादिया का व प्रतिवादिया नम्बर 3 का कभी कब्जा काश्त नही रहा है क्योकि ये शादि के समय से ही अपने ससुराल मे रहती है। इनके पिता भौरया का भी वादग्रस्त भूमि पर कोई हक व कब्जा नही रहा है। लोगो के बहकावे मे आकर वादिया ने यह वाद प्रस्तुत कर दिया है जो खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि गत खसरा नम्बर 157, 176, 177, 198, 214/2 एकीकरण मे, उससे पूर्व ख0न0 466 मिन, 466/813, 442 मिन, 433 मिन, 449, 404, 511, 512, 515, 516, 517, 514 मिन व 520 से बने है। वादिया के द्वारा प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी संवत 2012, 2013, 2014, 2015 के अवलोकन से विदित है कि एकीकरण से पूर्व वादग्रस्त भूमि के जो खसरा नम्बर से वे नानगा बल्द धन्ना की खातेदारी मे थे। मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि गत खसरा नम्बर 157, 176, 187, 198, 214/2 से वादग्रस्त नवीन नम्बर बने है जो सेटिलमेन्ट के बाद की जमाबंदी मे अलग अलग परसादी पुत्र नानगा, कजोडया पुत्र देवचंद, परसादी पुत्र नानगा हिस्सा 1/2, कजोडया पुत्र देवचंद हिस्सा 1/2 की खातेदारी मे अंकित है। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 3 का वादग्रस्त भूमि मे नाम दर्ज नही किया गया है। नानगा की मृत्यु के पश्चात एवं भौरया की पुत्री होने के नाते वादिया तथा प्रतिवादिया संख्या 3 का वादग्रस्त भूमि मे 1/3 हिस्सा होना चाहिए एवं इसी अनुसार वादिया अपने नाम भूमि दर्ज कराने की अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारो मे वर्तमान अभिलेख मे दर्ज हिस्से अनुसार पृथक पृथक विभाजन करवा कर पृथक पृथक खातेदारी अंकित करवा ली है परन्तु इससे वादिया व प्रतिवादी संख्या 3 के अधिकारों पर कोई असर नही आता है। वादिया व प्रतिवादी संख्या 3 उनके पिता भौरया की हिस्से मे आने वाली भूमि मे 1/3 हिस्से की खातेदारी दर्ज कराने की अधिकारी है। वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:58 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादिया का वाद डिक्री किया जाता है एवं वादग्रस्त भूमि ख0न0 727 रकबा 0.46 है0, ख0न0 735 रकबा 0.37 है0, ख0न0 834 रकबा 0.19 है0, ख0न0 888 रकबा 0.27 है0, ख0न0 889

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

रकबा 0.32 है0, ख0न0 844 रकबा 0.47 है0, ख0न0 861 रकबा 0.36 है0, ख0न0 917 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन चाह, ख0न0 770/1510 रकबा 0.35 है0, ख0न0 918 रकबा 0.95 है0, ख0न0 726 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन चाह, ख0न0 770 रकबा 0.84 है0, ख0न0 916 रकबा 0.50 है0, ख0न0 833 रकबा 0.22 है0, ख0न0 770/1535 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन चाह, ख0न0 478 रकबा 0.33 है0, ख0न0 607/1509 रकबा 0.62 है0, ख0न0 856 रकबा 0.51 है0 ग्राम बिदरख्या मे वादिया को 1/6 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 3 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों मे वादिया एवं प्रतिवादिया संख्या 3 का उपरोक्त घोषणा अनुसार खातेदारी मे नाम दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख मे नाम दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 19-8-25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज०) सत्यमेव जयते

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:58 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

रामकौरी पुत्री भौरया पत्नि गिर्राज, माली निवासी गंगापुर सिटी —वादिया

बनाम

1. परसादी पुत्र नानग्या, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
2. कजोड्या पुत्र देवचन्द, माली नि0 विदरखा तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)
2/1.रामनिवास पुत्र कजोड्या, माली नि0 विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
2/2.रामप्रकाश पुत्र कजोड्या, माली नि0 विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
2/3.श्यामलाल पुत्र कजोड्या, माली नि0 विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
2/4.विनोद पुत्र कजोड्या, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुरसिटी
2/5.कमलेश पुत्र कजोड्या, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुरसिटी
2/6.कौशल्या पुत्री कजोड्या, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुरसिटी
2/7.जानकी पुत्री कजोड्या, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुरसिटी
2/8.गुड्डी पुत्री कजोड्या, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुरसिटी
2/9.अतरोबाई पुत्री कजोड्या, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुरसिटी
2/10.मु0 पांची पत्नि कजोड्या, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुरसिटी
2/11.घीसी पत्नि देवचन्द, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुरसिटी
3. मु0 भूरी पुत्री भौरया पत्नि छाज्या, माली निवासी नौगांव तहसील तलावडा
—प्रतिवादीगण
4. लैण्डहोल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

दावा इस्तकरारहक टीनेन्सी खातेदारी व डिवीजन आफ होल्डिंग

मुकदमानं. —90/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री हर्षवर्धन शर्मा मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादिया का वाद डिक्री किया जाता है एवं वादग्रस्त भूमि ख0न0 727 रकबा 0.46 है0, ख0न0 735 रकबा [illegible] है0, ख0न0 834 रकबा 0.19 है0, ख0न0 888 रकबा 0.27 है0, ख0न0 889 र[illegible]2 है0, ख0न0 844 रकबा 0.47 है0, ख0न0 861 रकबा 0.38 है0, [illegible] रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन चाह, ख0न0 770/1510 रकबा [illegible] 0.35 है0, ख0न0 918 रकबा 0.95 है0, ख0न0 726 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन चाह, ख0न0 770 रकबा 0.84 है0, ख0न0 916 रकबा 0.50 है0, ख0न0 833 रकबा 0.22 है0, ख0न0 770/1535

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:58 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन चाह, ख0न0 478 रकबा 0.33 है0, ख0न0 607/1509 रकबा 0.62 है0, ख0न0 856 रकबा 0.51 है0 ग्राम बिदरख्या मे वादिया को 1/6 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 3 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों मे वादिया एवं प्रतिवादिया संख्या 3 का उपरोक्त घोषणा अनुसार खातेदारी मे नाम दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख मे नाम दुरूस्ती की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.8.2025 को जारी की गई।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प पर्चा		
स्टाम्प वजह सबूत			महनतानावकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज0) सत्यमेव जयते

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी / कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:58 IST
Reason: SelfAttested